दिनांक 28.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 34/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.02.2025 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त नौशाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद निवासी लोक प्रिय विहार थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्थाई पता ग्राम सदरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया

- **25—25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त व 15 हजार रूपये का 01 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के पीली—सफेद (धातु) के आभूषण**
- **नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर आदि बरामद**

दिनांक 27/28.02.2025 की रात्रि को थाना सिरसिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गब्बापुर के पास से 04 अभियुक्तों 1—हसन

अली 2–मिथुन उर्फ लाल मथन 3–रमेश कुमार उर्फ पट्टे 4–बाबदीन उर्फ जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हसन अली की निशादेही पर बरामदगी के दौरान पुलिस कार्यवाही में घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के पीली–सफेद (धातु) के आभूषण, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद श्रावस्ती से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त 1–हसल अली 2–मिथुन उर्फ लाल मथन 3–रमेश कुमार उर्फ पट्टे पर 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार व अभियुक्त 4–बाबदीन उर्फ जलालुद्दीन पर 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त हसन अली के विरूद्ध जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 33 अभियोग, रमेश कुमार उर्फ पट्टे के विरूद्ध जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग, मिथुन उर्फ लाल मथन के विरूद्ध जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हसन अली निवासी बाबापुरवा कुट्टीपुरवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

2–मिथुन उर्फ लाल मथन निवासी ग्राम बनघुसरा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

3–रमेश कुमार उर्फ पट्टे निवासी ग्राम सिकंदरबोझी थाना हरैय्या जनपद बलरामपुर।

4–बाबदीन उर्फ जलालुद्दीन निवासी ग्राम भभरापुर थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के पीली–सफेद (धातु) के आभूषण।

2–नगद रूपये।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर आदि।

जनपद भदोही /थाना ज्ञानपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27/28.02.2025 की रात्रि थाना ज्ञानपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान असनाव बाजार के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सचिन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ज्ञानपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ज्ञानपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन निवासी किसोरा थाना हण्डिया, कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27.02.2025 को थाना झिंझाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उन रोड पर हंस क्रैशर के पास पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन उर्फ पहाड़ी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन उर्फ पहाड़ी निवासी ग्राम बाहड़ी थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 81 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 कुन्तल 05 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त**
- **04 मोबाइल फोन**
- **1760/– रूपये नगद**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 27.02.2025 को ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर टीम द्वारा सूचना के आधार पर ननौता–गंगोह रोड पर नहर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों 1–बिन्दर 2–नितिन कुमार 3–कुलदीप 4–जगदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 81 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 कुन्तल 05 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त, 04 मोबाइल फोन, 1760/– रूपये नगद, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना ननौता जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिन्दर निवासी ग्राम अरनौली थाना गुहला जनपद कैथल, हरियाणा।

2–नितिन कुमार निवासी ग्राम तारापुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ।

3–कुलदीप निवासी ग्राम पोलड थाना सिवन जनपद कैथल, हरियाणा।

4–जगदेव निवासी ग्राम हरिके कलां रोड खोखर थाना बरिवाला जनपद मुक्तसर, पंजाब।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 81 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 कुन्तल 05 किलो।

2–400 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त।

3–04 मोबाइल फोन।

4–1760/– रूपये नगद।

5–01 ट्रक।

जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.02.2025 को थाना चिलुआताल की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहनापुर चौराहा थाना पुरन्दरपुर महाराजगंज से अभियुक्त कुतुबुद्दीन उर्फ अंश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिलुआताल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिलुआताल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुतुबुद्दीन उर्फ अंश निवासी थरौली बुजुर्ग बंजारा टोला मोहनापुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज।

जनपद रामपुर/थाना बिलासपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.02.2025 को थाना बिलासपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजीव गाँधी हॉस्पिटल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त उज्जवल दीदार उर्फ साबी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिलासपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उज्जवल दीदार उर्फ साबी निवासी गोकुलनगरी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 320 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर**
- **01 डीसीएम वाहन आदि बरामद**

दिनांक 28.02.2025 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेत्रोदय अस्पताल के पास से अभियुक्त आलोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 320 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर, 01 डीसीएम वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आलोक निवासी सूरजपुर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 320 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर।

2–01 डीसीएम वाहन आदि।

- **<u>जनपद भदोही/थाना दुर्गागंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद भदोही पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद भदोही द्वारा थाना दुर्गागंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विक्की उर्फ गोलू को सश्रम आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कटका (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कटका पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि सपठित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 04–04 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शिवशंकर 2–लल्लाराम 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 04–04 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना हरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना हरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सराय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट सपठित धारा 376(घ) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ज्ञानचन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना को0नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना को0नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्यामबिहारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 28.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 35/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

महाकुम्भ–2025 समापन के उपरान्त कुम्भ मेला एवं प्रयागराज पुलिस द्वारा संगम में किया गया पवित्र स्नान

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा परिकल्पित दिव्य, भव्य, डिजिटल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुम्भ–2025 को **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** के निर्देशन में उ0प्र0 पुलिस द्वारा अपने परिश्रम, निष्ठा, अनुशासन एवं समर्पित सेवाभाव के साथ अन्य विभागो के समन्वय से सकुशल सम्पन्न कराने के उपरान्त आज दिनांक 28–02–2025 को कुंभ मेला पुलिस एवं प्रयागराज पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संगम में पवित्र स्नान करके विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना की गयी। उक्त स्नान में परम्परागत रूप से आरक्षी से लेकर अपर पुलिस महानिदेशक तक सभी के द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतिभाग किया गया ।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन श्री भानु भास्कर द्वारा मीडिया से वार्ता करते हुए बताया गया कि महाकुंभ के इस 45 दिन के आयोजन का बहुत ही सुखद अनुभव रहा। माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में इसकी तैयारी लगभग 2 वर्ष पूर्व से आरंभ कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, फायर सर्विसेज, माउंटेड पुलिस, ट्रैफिक एवं जल पुलिस सभी के अधिकारियों द्वारा काफी मेहनत की गई। प्रतिदिन लगभग 16 से 18 घंटे इसी एक मकसद के साथ काम किया गया कि हम सभी लोगो को मिलकर महाकुंभ 2025 को सकुशल संपन्न कराना है, और आज हमारा संकल्प पूरा हुआ। इसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री गण द्वारा भी किया गया है। हम लोगों द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में अलग–अलग संस्थाओं के साथ 06 महीने से पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिलाया गया था, उसका परिणाम देखने को मिला कि, उ0प्र0 पुलिस ने सभी को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी निश्चल भाव से सेवा की, जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई है।